में दिए गए हैं (देखिए परिशिष्ट 151, अनुपत्र संख्या 88)

Oil spillage in Arabian Sea

1125. SHRI MOHINDER SINGH LATHER:

SHRI ISH DUTT YADAV:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a major oil spillage that took place in the Arabian Sea is fast moving in the direction of Bombay's coast line; and

(b) if so, what are the details thereof and what steps have been taken by Government to check pollution of Indian sea waters and to save the marine life?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI Z. R. ANSARI): (a) The small spill of two tonnes leaked near the Bombay Coast was noticed and controlled. The big spill of 5500 tonnes occurred at the place of accident some 725 km. off the Western Coast has not reached the Bombay coast so far. Indications are that this slick has disintegrated and moved down south will clear of the Indian coast.

(b) Various steps taken by the Government in this regard are as follows:

(i) the Indian Coast Guard went into action immediately, assisted by the Maharashtra Pollution Control Board;

(ii) a high level meeting was held in Bombay by the Ministry of Environment and Forests, Government of India, to chalk out the strategies to be followed;

(iii) regional Contingency Committee which already functions under the Indian Coast Guard were directed to locate the oil slick and also to implement the action plan with them;

(iv) National Remote Sensing Agency, Hyderabad, was also assigned the task of locating the oil slick through the satellite; and

(v) National Institute of Oceanography's vessel collected the samples to study the effects on marine life.

गुजरात में कपड़ा मिलों से संबंधित त्रिपक्षीय समिति की सिफारिशें

1126. **श्री मीर्जा इर्शादबेग :** क्या **वस्त्र** मंत्री 27 अप्रैल, 1989 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 440 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में रुग्ण कपड़ा मिलों के पुनरुद्धार के लिए राज्य सरकार द्वारा 22 जून, 1989 को केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किए गए गुजरात राज्य के वस्त्र उद्योग के संबंध में त्रिपक्षीय समिति के प्रतिवेदन के निष्कर्षों का मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : जैसा कि पिछले उत्तर में उल्लेख किया गया था, त्रिपक्षीय समिति की सिफारिशों की यथोचित कार्रवाई हेतु समीक्षा की गई थी। कुछ मामलों में उन पर कार्रवाई पहले ही हो गई है जबकि कुछ अन्य मामलों में उन्हें स्वीकार्य नहीं पाया गया है कुछ मामलों में कार्रवाही राज्य सरकारों को ही करनी थी त्रिपक्षीय समिति की रिपोर्ट के निष्कर्ष के मंत्रालयवार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं --

वस्त्र मंत्रालय

वस्त्र नीति के क्रियान्वयन के अध्ययन हेतु एक समिति पहले ही गठित की गई है इसी प्रकार, रुग्ण बन्द पड़ी मिलों के मामलों की जांच करने के लिये गठित नोडीय अभिकरण ने गुजरात में बन्द पड़ी 36 मिलों में से 20 मिलों के मामलों की जांच कर ली

है इनमें से केवल 8 मिलों को मुक्त अर्थक्षम पाया गया था किन्तु उनमें से 7 के मामले बी०आई०एफ०आर० के पास है । नोडीय अभिकरण को शेष रुग्ण/कमजोर मिलों के मामलों की जांच करने के लिये पहले ही कह दिया गया है वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना के लाभ अन्तिम परिसमापक के तथा आंशिक रूप से बन्द होने के मामलों में भी देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है मंत्रालय कच्चे माल की उपलब्धता तथा उसकी कीमतों पर कड़ी नजर भी रखती है और समय-समय पर आवश्यक उपाय करती है । राज्य सरकारों को पहले ही कह दिया गया है कि वे कामगारों की देयताओं का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें ।

श्रम मंत्रालय

अनधिकृत रूप से मिलें बन्द करने पर अधिक कठोर दण्ड देने की व्यवस्था के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन का प्रश्न विचाराधीन है और कामगारों की देयताओं की वसूली सुनिश्चित करने के लिये समुचित विधायी व्यवस्था करने पर विचार हो रहा है ।

वित्त मंत्रालय

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण संबंधी मानदण्डों की समय/समय पर समीक्षा की जाती है और रुग्ण/कमजोर एककों के लिये समुचित रियायतें दी जाती हैं । देश में कपड़ों की तस्करी रोकने के उपाय सीमा शुल्क विभाग करता है । सरकार ने उत्पाद शुल्क में पहले ही पर्याप्त रियायतें वर्ष 1988-89 के बजट में दे दी हैं और शुल्क-ढांचे के प्रश्न की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है ।

उद्योग मंत्रालय

महानगरीय क्षेत्रों में बिना प्रदूषण वाले औद्योगिक एककों की स्थापना

हेतु समिति अनुमति देने के उद्देश्य से स्थान संबंधी प्रतिबंधों में, कुछ शर्तों के अध्यधीन पहले ही छूट दे दी गई है । जहां तक अहमदाबाद में सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बड़े एकक को स्थापित करने का संबंध है, इस बारे में प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाता है ।

गुजरात स्थित एन०टी०सी० मिलों के अधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदन

1127. **श्री मिर्जा इर्शादबेग** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य स्थित राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के "अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी संघ" द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन मांग-पत्र का स्वरूप क्या है ; और

(ख) इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) एन० टी० सी० मिलों के तकनीकी कर्मचारी और अधिकारी संघ (गुजरात) ने दिनांक 4-4-1989 के अपने अभिवेदन में केन्द्रीय डी०ए० पैटर्न के अनुसार गुजरात स्थित एन० टी० सी० मिलों के तकनीकी कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन मानों के संशोधन करने तथा एन०टी० सी० के अन्य अनुषंगी निगमों में उपलब्ध सभी प्रकार के लाभों और भत्तों को भी प्रदान करने की मांग की ।

(ख) गुजरात स्थित एन०टी०सी० मिलों के कर्मचारियों को वर्तमान वेतन-ढांचा क्षेत्र-सह-उद्योग आधार पर है । चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संशोधित वेतनमानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों के बराबर करने आदि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर नियुक्त उच्च शक्ति प्राप्त वेतन समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेने के बाद ही संघ की उपयुक्त मांग पर विचार किया जा सकता है ।